

फर्द अहकाम

मेवा बनाम म्हाडव

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या ..... 148/2022 अ.प.न. 7.1

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04/12/22	वकुलाये फरीफोन उपस्थित वकीलो ने कार्य स्थित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 09/12/22 को पेश हो। (P)	
	09.12.25	वकुलाये फरीफोन उपस्थित वकीलो ने कार्य स्थित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 18.12.25 को पेश हो। (P)	
	18.12.25	वकुलाये फरीफोन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा. कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 19.12.25 को पेश हो। (P)	
	19/12/25	पत्रावली को लौटा दिया गया है अतः अ.प.न. 7.1 में वर्णित तथ्यों को देखते हुए एजाज त्राप्टे पारी का न. 1-30 अलवतु का केसला छोटे लक कन्करी मछे छे निकले किया। बहम पर मकत किया। पणवली का बदलेकत किया गया। अ.प.न. 7.1 के अंतर्गत मूल स्वर्ण विवेचना का है अतः व तद्विषय क्रमिक रिपोर्ट्स को देना आवश्यक है अतः अ.प.न. 7.1 स्वीकार वा मजालीका को पाठ्य किया जाता है कि क्र. क्र. 1866/0.62, 1868/1/0.2250, 2195/1768/0.14, 2196/1769/0.13, 2197/1868/0.2250, 2198/1884/0.45, 1869/0.31	

फर्द अहकाम

मैदा बनाम महादेव वर्मा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या: 48/2022 ज.प.प. फ.ड.

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	(लगातार)	<p>1870/0.19, 1871/0.24, 1872/0.88, 1767/0.21, 1768/2200/0.06, 1769/0.07, 1770/0.20, 1867/0.66, 1868/0.2250, 1868/2202/0.2250, 2203/1884/0.30, 1874/0.86 वाकि</p> <p>मौजा पावडेड़ी तहसील पावटा जिला नारायणपुर में अर्कीया व प्रशासनिक एजेंसी एलिवेजियर के कब्जे काश्त, उपयोग-उपयोग में कभी प्रकार की मजदूर व दखलान्दाजी पैदा ना करे। नारायणपुर में जबरन निर्माण कार्य रुक करवाये जावडे, अर्कीया को रुक-रुक जावडे। गड्डे वक्रीया वा ही जावडे। लच गड्डा केसला एजे एड मजदूरों को पावण्ड देहे। पगवली केसला प्रकार होत जे नम्बर से कम है वाड शामिल इतर है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)